आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –239 / 2022
उपेन्द्र कुमार सहनी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
06.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 22401 / 2018 में दिनांक–23.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी के आदेश दिनांक 07. 09.2018 से असंतुष्ट होकर दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश निम्न प्रकार है :– **"Considering the afore-noted objection of the petitioner and in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause-36 of the Bihar Targeted Publice Distribution System (Control) order, 2016, we deem it appropriate to direct that in the event of the petitioner approach the Divisional Commissioner with a suitable representation/complaint within a period of fifteen days, he shall look into the matter and after giving hearing toa all the concerned parties, including private respondent No. 8, shall pass a final order within a further period of sixty days, giving reasons in support of the decision taken by him."** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार सीतामढ़ी जिला के ग्राम पंचायत–पचटकी यदु के लिए तीन रिक्ति के विरुद्ध अनुज्ञप्ति	ज्ञ

WEB COPY NOT OFFICIAL

हेतु आवेदन की मांग की गई। जिसमें पचटकी राम (अनारक्षित), बराही (अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला) एवं पचटकी यदु चौक (अनारक्षित महिला) को आरक्षित था। विपक्षी सं0–05 (श्री रंजन कुमार) ने अपने आवेदन में दुकान संचालित करने के लिए खाता सं0–1010, खेसरा सं0–2842, वार्ड सं0–07 ग्राम पंचायत पचटकी यदु के लिए आवेदन दिया । चुकि पचटकी यदु का रिक्ति अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था इसलिए विपक्षी सं0–02 द्वारा विपक्षी सं0–01 से आपसी सांठ–गांठ कर बाद में खाता सं0–406, खेसरा सं0–178, 179 एवं वार्ड सं0–05 'पचटकी राम' के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया गया। बाद में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भी अपने आदेश दिनांक 13.12.2021 में दुकान को पचटकी यदु के खाता सं0–1010, खेसरा सं0–2842 पर ही पाया है, इसलिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पचटकी राम का पता देकर विपक्षी सं0–05 (श्री रंजन कुमार) ने गलत पता देकर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया है। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता ही पचटकी राम के लिए योग्य अभ्यर्थी था । माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विपक्षी सं0–01 ने Counter Affadavit दायर किया है। उसमें उन्होंने (विपक्षी संख्या–01) बताया है कि जन वितरण विक्रेता के लिए वार्ड स्तर पर नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर Vacancy निकलता है, यह गलत है क्योंकि उनके विज्ञापन में अंकित है कि पंचायत/वार्ड/नगर पंचायत के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसलिए जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश गलत है जो खारिज होने योग्य है।

विपक्षी सं0–05 (श्री रंजन कुमार) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं0–05 के आवेदन पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उन्हें अर्हता एवं योग्यता में वरीयतम होने के फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति आवेदन ही अपूर्ण था। जिस कारण उनका चयन नही किया गया। विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता ने रंजन कुमार द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन में जो खाता एवं खेसरा अंकित किया गया है उसे लिपिकीय भूल माना है। आगे विपक्षी संख्या–05 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–05 का दुकान पचटकी राम वार्ड सं0–05 में ही अवस्थित है, जो किराये पर लेकर चलाया जा रहा है। विपक्षी सं0–05 का चयन जाँचोपरांत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया है जो सही है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर के अनुसार

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिला स्तरीय चयन समिति ने विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जाँचोपरांत विपक्षी सं0–05 को अनुज्ञप्ति दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पचटकी यदु के तीन रिक्ति के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की मांग की गई। विपक्षी सं0–05 ने ग्राम पचटकी यदु के लिए आवेदन किया एवं उनके आवेदन में व्यापार स्थल के विवरण में खाता सं0–1010, खेसरा सं0–2842, ग्राम–पचटकी यदु वार्ड सं0–07 अंकित है। इसके बाद विपक्षी संख्या 05 द्वारा दावा आपति हेतु दिये गये आवेदन के साथ व्यापार स्थल के संबंध में एक किरायानामा एवं अन्य कागजात संलग्न की गई साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होने (रंजन कुमार) पचटकी राम के लिए आवेदन किया था। जबकि विपक्षी संख्या–05 द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन में स्पष्ट रुप से अंकित है कि वे (रंजन कुमार) पचटकी यदु, वार्ड–07 के लिए आवेदन दिये थे। साथ ही उनके आवेदन में आवेदन करने की तिथि भी अंकित नही है। विपक्षी संख्या–05 द्वारा दिये गये आवेदन की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रीगा से दिनांक 25.07.2018 को करायी गयी। प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, रीगा ने रंजन कुमार द्वारा दिये गये आवेदन के साथ संलग्न किरायानामा में वर्णित खाता एवं खेसरा की जाँच की। जबकि आवेदक द्वारा दिये गये आपत्ति आवेदन में व्यापार स्थल के लिए खाता एवं खेसरा में सुधार करने का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि केवल किरायानामा संलग्न किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि उन्होने (रंजन कुमार) पचटकी यदु के लिए ही आवेदन दिया था। इसके बाद आश्चर्य की बात यह भी है कि जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी संख्या–05 के पक्ष में जो अनुज्ञप्ति निर्गत किया है उसमें भी व्यापार स्थल के विवरण में खाता संख्या–1010 खेसरा संख्या–2842 ही अंकित है, जो कि पचटकी यदु वार्ड–07 के अंतर्गत आता है, जैसा की विपक्षी संख्या–05 द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन से भी स्पष्ट है। जबकि पचटकी यदु अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था। साथ ही अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश दिनांक–13.12.2021 से भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–05 द्वारा दुकान का संचालन खाताा संख्या–1010 खेसरा संख्या–2842, पचटकी यदु में ही किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला स्तरीय चयन समिति ने बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश, 2016 के आरक्षण संबंधी नियम एवं नियम 9

WEB COPY NOT OFFICIAL

(xi) का अनुपालन नहीं किया है।

उल्लेखनीय यह भी है कि विपक्षी संख्या–05 द्वारा दिये गये किरायेनामा में व्यापार स्थल खाता संख्या–406 खेसरा संख्या–2842 है, जो कि पचटकी राम में है, के संबंध में वितरण में अनियमितता की शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा की गई। जिसकी जॉच अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बैरगनिया से करायी गयी। जॉच के दौरान विपक्षी संख्या–05 ने स्वयं स्वीकार भी किया कि ***उन्हे पचटकी राम के लिए दुकान स्वीकृत है, परन्तु मुझे जो अनुज्ञप्ति मूल प्रति में श्रीमान के कार्यालय से प्राप्त कराई गई थी तो उस पर मेरा घर ही व्यापार स्थल था, परन्तु गत वर्ष तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, श्री मुकुल कुमार गुप्ता के द्वारा उनका व्यापार स्थल पचटकी राम मे कर दिया गया है।*** जबकि उनके द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन से स्पष्ट है कि उनका घर पचटकी यदु वार्ड सं0–07 में है। उक्त जॉच के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने आदेश ज्ञापांक 612 दिनांक 18.09.2020 द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को रद्द भी कर दिया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया जा रहा है एवं अनुज्ञप्ति की एक छायाप्रति भी इस न्यायालय में दाखिल किया गया है जिसमें विपक्षी संख्या–05 के व्यापार स्थल के विवरण में खाता संख्या–406 खेसरा संख्या–178, 179 अंकित है जो कि पचटकी राम से संबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या–05 का जो अनुज्ञप्ति संख्या–07/2018 निर्गत की गई है वह दोनों दिनांक–04.12.2018 से ही निर्गत है। जबकि एक अनुज्ञप्ति पर व्यापार स्थल में खाता संख्या–1010 खेसरा संख्या 2842 अंकित है जो कि पचटकी यदु में है एवं दूसरे पर खाता संख्या–406 खेसरा संख्या–178, 179 अंकित है जो पचटकी राम में है। इस संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस परिस्थिति में एवं किस आधार पर यह दोनों अनुज्ञप्ति निर्गत (अनुज्ञप्ति एक ही तिथि में परन्तु व्यापार स्थल अलग–अलग) किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हेाता है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश, 2016 के नियमों का अनुपालन नहीं किया है, जिससे उनका आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए विखंडित किया जाता है तथा प्रस्तुत अपीलवाद स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति को

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्रश्नगत मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL